Witness No **01** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **07/08/2023** day of **सोमवार** Witness's apparent age **32 वर्ष** State of affirmation **शपथपूर्वक** My Name is **गौरव दुबे** Son/Wife of **श्री लक्ष्मीनारायण दुबे** Occupation **आबकारी उपनिरीक्षक** Address **आबकारी वृत्त, अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)**

CRIMINAL CASE 2105/2022
State of Chhattisgarh Vs Neel Kumar Miri
Time 11:20 to 11:30

01– मैं दिनांक 13–12–2022 को आबकारी वृत्त अकलतरा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 13–12–2022 को थाना अकलतरा के अपराध क्र. 486/22 के तहत जप्त किए गए द्रव्य आरक्षक के द्वारा मेरे समक्ष परीक्षण हेतु एक प्लास्टिक बोरी के अंदर रखा 180ml क्षमता वाले 35 नग देशी मदिरा प्लेन को सील बंद कर परीक्षण हेतु लाया गया, जिसे मेरे द्वारा सील तोड़कर नियमानुसार परीक्षण करने पर निम्नलिखित परिणाम पाया गया–

1/ देखने पर रंगहीन का तरल द्रव, तथा मापक से मापने पर प्रत्येक में 180ml तरल द्रव्य होना पाया गया।

2/ सुंघने पर देशी मदिरा प्लेन की विशेष गंध होना पाया गया था।

3/ नीला लिटमस पेपर डालने पर पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं।

4/ थर्मा मीटर एवं हाइड्रोमीटर से द्रव की तेजी 50.2 डिग्री यू.पी. होना पाया गया।

02– उपरोक्त द्रव को मैंने अपने द्वारा किये गये परीक्षण से प्राप्त परिणाम एवं अपने विभागीय अनुभव तथा प्रशिक्षण के आधार पर परीक्षित मदिरा को देशी मदिरा प्लेन होना पाया गया था, इस संबंध में मेरे द्वारा दिया गया रिपोर्ट **प्र.पी. 1** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

03– मैने परीक्षण उपरांत जप्त किए गये देशी मदिरा प्लेन को पुनः सीलबंद कर उसे लाने वाले आरक्षक को वापस कर दिया था।

प्रतिपरीक्षण वास्ते श्री यशवंत सराफ अधिवक्ता वास्ते आरोपी

04– यह कहना सही है कि नीला लिटमस पेपर को किसी अम्लीय द्रव्य में डुबाने पर उसका रंग गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यह कहना सही है कि कई दवाईयों में भी तीखा गंध रहती है। यह कहना सही है कि मादक द्रव्य परीक्षण पंचनामा में थर्मा मीटर एवं हाईड्रोमीटर की माप को अलग अलग उल्लेख नहीं किया हूं।

05– यह कहना गलत है कि इस प्रकरण में जप्त मादक द्रव्य परीक्षण के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह कहना गलत है कि मैं विभागीय अनुभव होने के कारण पुलिस के कहने पर केवल प्रतिवेदन बनाकर और हस्ताक्षरित कर दिया था। यह कहना सही है कि पंचनामा के पूर्व परीक्षण करते समय सील खोलने का पंचनामा नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि प्रकरण सील बंद हालत में होने का उल्लेख नहीं है।

06– यह कहना सही है कि जप्तशुदा द्रव को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा था। यह कहना सही है कि परीक्षण में प्रयुक्त लिटमस पेपर को प्रकरण में संलग्न नहीं किया है।

वाचित स्वीकृत	मेरे निर्देश पर टंकित
सही/–	सही/–
(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)	(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	जांजगीर–चांपा (छ.ग.)